इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116] भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 मार्च 2014—फाल्गुन 10, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014

क्र. एफ. 11-25-2013-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेयरहाउस एक्ट, 1947 (क्रमांक 1 सन् 1948) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल वेयरहाउस रूल्स, 1961 जो उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) नियम 4 के उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(4) अनुज्ञप्ति का नवीकरण 5 वर्ष की कालावधि के लिए होगा और इसकी विधिमान्यता की कालावधि पांचवे वर्ष के 30 जून तक होगी, नवीकरण शुल्क रु. 0.50 (पचास पैसे), प्रति मीट्रिक टन 5 वर्ष के लिए होगा."

(दो) विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"5. **अनुज्ञप्ति की कालावधि और प्ररूप**—अनुज्ञप्ति प्ररूप दो में होगी और इसकी विधिमान्यता आगामी पांचवे वर्ष की 30 जून तक होगी."

(तीन) विद्यमान नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"6. **अनुज्ञप्ति फीस**—किसी भंडारी को पांच वर्षों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए रु. 0.50 (पचास पैसे), प्रति मीट्रिक टन प्रभार लिया जाएगा और अनुज्ञप्ति का नवीकरण रु. 0.50 (पचास पैसे), प्रति मीट्रिक टन की नवीकरण फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा."

(चार) विद्यमान नियम 31 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए अर्थात्:—

"31. **बीमा**—भंडारी भंडारगृह को, अग्नि के विरुद्ध तथा ऐसे अन्य जोखिमों के विरुद्ध जो विहित प्राधिकारी द्वारा निदेशित किए जाएं पूर्णतः बीमित करेगा. वह अग्नि आदि के जोखिम से वेयर हाउस में जमा किए गए सामान को भी बीमित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए निक्षेपकर्ता का एजेन्ट समझा जाएगा.".

(पांच) नियम 34 में, शब्द "रुपए पचास" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की कालावधि के लिए रुपए पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014

क्र. एफ. 11-25-2013-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 1 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 1st March 2014

No. F 11-25-2013-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Act, 1947 (No. 1 of 1948), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961, the same have been previously published as required by sub-section (1) of Section 24 of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) After sub-rule (3) of rule 4, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) The renewal of the license shall be for the period of 5 years, and its validity period up to the 30th June of the 5th year, the renewal fees will be Rs. 0.50 (Fifty Paise) per metric ton for 5 years.".

(II) for the existing rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"**5. Period of licence and form**.—The licence shall be in form II and shall be valid up to 30th June next following of the 5th year.".

(III) for the existing rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. **Licence fee.**—There shall be charged Rs. 0.50 (Fifty Paise) per metric ton for issuing a license for five years to a Warehouseman and the licence may be renewed after receiving an application with renewal fee of Rs. 0.50 (Fifty Paise) per metric ton.".

(IV) for the existing rule 31, the following rule shall be substituted,namely:—

"31. **Insurance.**—The warehouseman shall fully insure the warehouse against fire and also against other risk when so directed by the prescribed authority. He shall also insure the goods deposited in the warehouse against risks of fire, etc. and shall be deemed to be an agent of the depositor for this purpose."

(V) in rule 34, for the words "Rs. Fifty", the words "rupees five hundred for a period of five years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.